न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/101/2015

उनवान

1. श्रीमती चांदी बाई जोजे काना अहीर निवासी ओज्याड़ा तहसील हमीरगढ जिला भीलवाड़ा

अपीलार्थीया

बनाम

1. श्रीमती चुन्नी बाई जोजे नाना अहीर निवासी ओज्याड़ा तहसील हमीरगढ जिला भीलवाड़ा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाड़ा

रेस्पोडेण्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर हमीरगढ के प्रकरण संख्या 33/15(33/12) निर्णय दिनांक 10.06.2015

अधिवक्तागण :–

1. श्री जे0सी0दाधीच , अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री विपुल बापना , अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं0 1

निर्णय

दिनांक 22.10.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीया/प्रत्यर्थी संख्या 01 के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53–54 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम ओज्याड़ा में वादीया एवं प्रतिवादीया के संयुक्त खातेदारी अधिकार की आ0नं0 1476 रकबा 05 बीघा 07 बिस्वा, आ0नं0 1665 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा, आ0नं0 1669 रकबा 7 बीघा 18 बिस्वा कुल कीता 3

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

कुल रकबा 16 बीघा 16 बिस्वा में वादीया का 1/2 एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्से अनुसार आराजीयात पर काबिज है। उपरोक्त आराजीयात के संयुक्त खातेदारी में रहने से इस भूमि में फसल काश्त करने और लगान जमा कराने एवं भूमि को विकसित करने में भारी कठिनाई आती है और सहखातेदारान के मध्य विवाद बना रहता है जिससे इस भूमि का मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन कराया जाकर वादीया के हिस्से अनुसार खाता व लगान अलग–अलग कराया जाना आवश्यक है। इस बाबत विभाजन आराजीयात की डिक्री बहक वादीया पारित किया जाना मुनासिब है।

2. यह कि आराजीयात का विधिवत विभाजन नही होने से उक्त आराजीयात को पूरी या इनमें से मनचाहे हिस्से को अपनी स्वयं की बताकर खुर्द बुर्द अंतरित करने पर आमादा हो रही है और वादीया को उसके कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल करने पर आमादा हो रही है। जबकि जब तक विभाजन नहीं हो जाता किसी भी सहखातेदार को संयुक्त खाते की भूमि को अंतरित करने व इस पर निर्माण करने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबन्द कराया जाना आवश्यक है कि वह उक्त आराजीयात कीता 3 रकबा 16 बीघा 16 बिस्वा का विधिवत विभाजन होने के पूर्व खुर्द बुर्द व अंतरित नहीं करे और राजस्व रेकार्ड व मौके की यथास्थिति कायम रखे। इस सम्बन्ध में वादीया ने प्रतिवादी सं0 1 को दिनांक 25.01.2012 को आराजीयात के विभाजन हेतु कहा तो सहमत नहीं हुई जिससे यह वाद कारण दिनांक 25.01.2012 से उत्पन्न होकर जारी है।

3. अतः वादीया की प्रार्थना है कि वाद वर्णित आराजीयात कुल कीता 3 कुल रकबा 16 बीघा 16 बिस्वा में वादीया का 1/2 हिस्से का मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन कराया जाकर वादीया के हिस्से अनुसार खाता व लगान अलग–अलग कायम कराया जावे व विभाजन से वादीया के

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

हिस्से में आने वाली भूमि पर वादीया का आधिपत्य कराये जाने की डिक्री बहक वादीया पारित किया जाना मुनासिब है।

4. स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीया पारित फरमाई जाकर आराजीयात कीता 3 कुल रकबा16 बीघा 16 बिस्वा का विधिवत विभाजन नहीं हो जावे तब तक उक्त आराजीयात के किसी भी हिस्से को किसी भी तरह से खुर्द बुर्द , अंतरित नहीं करें एवं वादीया के कब्जे काश्त में कोई हस्तक्षेप नहीं करे और वादीया को उसके हक हिस्से की भूमि से बेदखल नहीं करे तथा इस भूमि पर किसी तरह का कोई निर्माण कार्य नहीं करे।

5. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय वादीया/प्रत्यर्थी सं0 1 का वाद पत्र स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर प्रतिवादीया/अपीलार्थीया ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

6. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

7. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीया को सुनवाई का अवसर दिए बिना ही अपीलाधीन निर्णय प्राथमिक डिक्री दिनांक 10.06.2015 को जारी कर दी जो निरस्त योग्य है। प्रकरण में कोई राजीनामा प्रस्तुत नहीं हुआ । प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीया के क्रॉस वाद के जवाब हेतु नियत होते हुए भी प्रकरण में बिना विधिक प्रक्रियाओं की पालना के ही प्रकरण का निस्तारण राजस्व लोक अदालत केम्प ओज्याड़ा पर प्रस्तुत कर प्राथमिक डिक्री जारी की जो निरस्त योग्य है।

8. अपीलार्थीया के विद्वान अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि वादीया/प्रत्यर्थी सं0 1 का वाद वर्णित आराजीयात में कोई हक हिस्सा नहीं है। वादीया एवं प्रतिवादीया सगी बहने हैं

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

तथा इनके पति भी सगे भाई हैं। प्रतिवादीया/अपीलार्थीया के द्वारा वाद वर्णित आराजीयात को दिनांक 11.04.1972 को मूलाजी व मु0 मांगी से क्रय कर लिए जाने से तन्हा प्रतिवादीया की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। परन्तु विक्रेतागण के द्वारा उक्त आराजीयात को दोबारा अन्य व्यक्तियों को विक्रय कर दी जिससे पश्चातवर्ती विक्रयपत्र को खारिज कराने हेतु दीवानी एवं आपराधिक प्रकरण सिविल न्यायालय में विचाराधीन है। फिर भी वादीया/प्रत्यर्थी संख्या 01 के द्वारा यह वाद प्रतिवादीया/अपीलार्थीया को परेशान करने के लिए प्रस्तुत किया जो खारिज योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा क्रॉस वाद का जवाब लिए बिना एवं वादबिन्दु कायम कर साक्ष्य सबूत के अभाव में पारित प्राथमिक डिक्री विधि विरूद्ध है। अतः अपील अपीलार्थीया स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 10.06.2015 को निरस्त फरमाया जावे।

9. वादीया/प्रत्यर्थीया सं0 1 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि दिनांक 11.04.1972 को मांगी से शामलाती भूमि खरीद की गई जो दोनों के नाम बराबर हक से दर्ज हुई। सिविल न्यायालय में प्रकरण का निस्तारण होकर दोनों को 1/2–1/2 हक दिया गया है। क्रॉसवाद के साथ में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं है। क्रॉसवाद का जवाब प्रस्तुत कर दिया गया जो अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली शामिल है। प्राथमिक डिक्री जारी करने से पूर्व यही देखा जाता है कि प्रकरण प्रस्तुत करने वाला संयुक्त खातेदार है या नहीं। वाद वर्णित आराजीयात में वादीया/प्रत्यर्थी सं0 1 व अपीलार्थीया 1/2–1/2 के संयुक्त खातेदार है। इस सम्बन्ध में विधिक नजीर आरबीजे(23)2016 पेज 536 न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के प्रकरण संख्या अपील/डिक्री/टी.ए. /6354/2007/भीलवाड़ा शंकरलाल बनाम रामस्वरूप में पारित

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

निर्णय दिनांक 01.08.2016 प्रस्तुत कर अपील खारिज किए जाने का निवेदन किया ।

10. हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वादपत्र एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा उन्हें सुनवाई का अवसर दिए बिना प्रकरण का निस्तारण किया उक्त कथन के परिप्रेक्ष्य में अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में संधारित आदेशिकाओं का अध्ययन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर भीलवाड़ा में वादीया / प्रत्यर्थी सं0 1 के द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दिनांक 06.02.2012 को दर्ज किया जाकर विपक्षीगण की तलबी हेतु आगामी तारीख 19.03.2012 नियत की गई। प्रकरण में अपीलार्थीया / प्रतिवादीया की ओर से दिनांक 25.07.2012 को जवाब मय क्रॉस वाद प्रस्तुत होकर आगामी तारीख जवाब क्रॉस वाद हेतु 05.09.2012 नियत की गई। अधिनस्थ न्यायालय मे पुनः दिनांक 19.03.2013 की आदेशिका में जवाब मय क्रॉस दावा प्रस्तुत कर आगामी तारीख 22.04.2013 क्रॉस दावा के जवाब हेतु नियत की गई। दिनांक 22.04.2013, 27.05.2013, 14.06.2013 को पीठासीन अधिकारी के राजकीय कार्य में व्यस्त होने तथा 28.06.2013 से 20.01.2014 तक पेशीया पीठासीन अधिकारी के स्थानान्तरण होने से बदली जाने की आदेशिकाएं संधारित है। दिनांक 05.03.2014 की आदेशिका में प्रकरण जिला कलेक्टर भीलवाड़ा के आदेश क्रमांक 6637 दिनांक 17.02.2014 से स्थानान्तरित होने से प्रकरण सहायक कलेक्टर हमीरगढ के न्यायालय में दर्ज किए जाने की आदेशिका संधारित है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में दिनांक 10.03.2014 , 05.05.2014, 09.06.2014, 21.07.2014, 11.08.2014, 22.09.2014, 27.10.2014, 08.12.2014, 02.02.2015, 16.03.2015, 22.04.2015

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

को पीठासीन अधिकारी के राजकीय कार्य में व्यस्त होने से पेशियां बदली गई। दिनांक 22.04.2015 की आदेशिका में आगामी तारीख 20.05.2015 साबिक आदेश हेतु नियत की गई। दिनांक 20.05.2015 की कोई आदेशिका पत्रावली में संधारित नहीं है और दिनांक 10.06.2015 की आदेशिका संधारित किया जाकर अंकित किया कि ''पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट ओज्याड़ा पर पेश हुई। प्रकरण में पूर्व में प्राथमिक डिक्री जारी हुई जो ऑर्डरशीट पर नहीं होने से व पीडी पर निर्णय दिनांक अंकित नहीं होने से पुनः प्राथमिक डिक्री जारी की जाती है। प्रकरण दिनांक 27.07.2015 को पेश हो'' ।

11. अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि प्रकरण को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट ओज्याड़ा पर दिनांक 10.06.2015 को प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में पक्षकारान को सुनवाई हेतु सूचना पत्र जारी करने के सम्बन्ध में कोई आदेशिका संधारित नहीं है। पत्रावली में संलग्न लोक अदालत कैम्प ओज्याड़ा हेतु दिनांक 25.05.2015 को प्रकरण संख्या 33 / 12 में श्रीमती चांदीबाई जोजे काना अहीर निवासी ओज्याड़ा को दिनांक 10.06.2015 का जारी होना प्रकट होता है परन्तु चुन्नीबाई जोजे नाना अहीर निवासी ओज्याड़ा के नाम का कोई सूचना पत्र जारी होना प्रकट नहीं होता है। प्रकरण का राजस्व लोक अदालत कैम्प ओज्याड़ा में निस्तारण के वक्त पक्षकारान की उपस्थिति के कोई हस्ताक्षर या अंगूठा निशानियां अंकित नहीं है न ही कोई राजीनामा पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत किया जाना पत्रावली से प्रकट होता है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में क्रॉस वाद का जवाब पेश होना पत्रावली में संलग्न जवाब जो कि दिनांक 07.05.2013 का टंकणशुदा है संलग्न है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण में अपीलार्थीया को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया न कोई वाद बिन्दु विरचित किए हैं तथा प्रकरण में कोई संक्षिप्त या विस्तृत निर्णय नहीं लिख सीधे ही बिना किसी राजीनामें के

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

आधार पर अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी की है जो राजस्व लोक अदालत की भावना के विपरीत है एवं अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण में सिविल प्रक्रिया संहिता की प्रक्रियाओं की पूर्ण पालना नहीं किया जाना भी प्रकट होता है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 10.06.2015 खारिज योग्य प्रतीत होती है।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थीया स्वीकार करते हुए अधिनस्थ न्यायालय के आदेश एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 10.06.2015 को खारिज किया जाकर इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे सिविल प्रक्रिया संहिता की पूर्ण पालना कर पक्षकारान को विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए वादबिन्दु कायम किए जाकर साक्ष्य सबूत प्राप्त करने के उपरान्त विधि के परिप्रेक्ष्य में निर्णय पारित किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

13. निर्णय आज दिनांक 22.10.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

22/10/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए / 101 / 2015

उनवान

1. श्रीमती चांदी बाई जोजे काना अहीर निवासी ओज्याड़ा तहसील हमीरगढ जिला भीलवाड़ा

अपीलार्थीया

बनाम

1. श्रीमती चुन्नी बाई जोजे नाना अहीर निवासी ओज्याड़ा तहसील हमीरगढ जिला भीलवाड़ा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाड़ा

रेस्पोडेण्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर हमीरगढ के प्रकरण संख्या 33 / 15(33 / 12) निर्णय दिनांक 10.06.2015

अपील में डिक्री

(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आर**टीए / 101 / 2015** मे **सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित डिक्री जारी की जाती हैः अपीलार्थी अधिवक्ता श्री जे0सी0दाधीच एवं प्रत्यर्थी सं0 1 के अधिवक्ता श्री विपुल बापना की उपस्थिति मे दिनांक 22.10.2019 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :–

अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 10.06.2015 को खारिज करते हुए प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता हैं।

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 22.10..2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डिक्री जारी की जाती है।

22/X/19

(हेमन्त स्वरूप माथुर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट
1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट
1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस